



**NEHRU INSTITUTE OF MOUNTAINEERING
UTTARKASHI - 249193 (UTTARAKHAND) INDIA**

	TELE	EMAIL / WEB
NIM	Registrar : 01374 222123	Training : nimutk2004@gmail.com
SUCCESS LIES IN COURAGE	Training : 01374 223580	Principal : principal-nim@uk.gov.in
	Principal / Fax : 01374 223344	Website : www.nimindia.net
	WhatsApp : 7060 717 717	

पत्रांक संख्या : क्यूएम/807/दीनगाड़/2019-

दिनांक: 09 अगस्त 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कोट बंगला, उत्तरकाशी
उत्तराखण्ड

विषय: नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु दीनगाड़ क्षेत्र में वनभूमि हस्तान्तरण के दौरान लगी आपात्तियों के सम्बन्ध में

संदर्भ: कृपया नोडल कार्यालय के पत्रांक संख्या :-

FP/UK/Others/43289/2019 दिनांक 02 जून 2021

FP/UK/Others/43291/2019 दिनांक 02 जून 2021

FP/UK/Others/43293/2019 दिनांक 02 जून 2021 एवं

FP/UK/Others/43304/2019 दिनांक 02 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करें।

महोदय,

नोडल कार्यालय से द्वारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु दीनगाड़ क्षेत्र में वनभूमि हस्तान्तरण में ऑनलाइन माध्यम के दौरान निम्न आपात्तियां लगायी गयी, जिनका निराकरण संस्थान द्वारा निम्न रूप से किया गया है।

क्र.सं.	प्रस्ताव संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आपात्तियां	निराकरण
1.	FP/UK/Others/43289/2019	0.76 हे.	1. फॉर्म A, पार्ट I A-(i)(ii)(iii) में आवेदक का पूरा नाम को भरें। 2. भुक्की गांव की वी0एल0सी कार्यवाही पर तिथि नहीं लिखी गई है। 3. अतिरिक्त जानकारी के रूप में कम से कम दस्तावेज अपलोड किये गये हैं। 4. भाग II में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं किया गया।	1. आवेदक का नाम पूर्ण रूप भरा गया है। 2. दिनांक से उल्लेखित दस्तावे अपलोड किया गया। 3. अतिरिक्त जानकारी नाम कॉलम में सभी महात्वपूर्ण दस्तावे अपलोड किये गये हैं। 4. भाग II से सम्बन्धित जानकारी प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सम्पन्न किये जायेंगे।



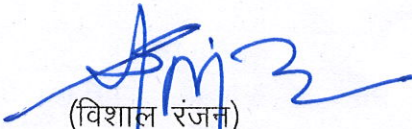
(Handwritten signature)

			5. प्रभावित वृक्षों की सूची के अनुसार नं. सूची में वर्णित वृक्षों की संख्या 80 है जबकि भाग II 4 (ii) में भरी गई जानकारी शून्य है। कृपया स्पष्ट करें। 6. भाग II में अतिरिक्त जानकारी के रूप में कृपया एनपीवी प्रमाणपत्र, लम्बाई चौड़ाई प्रमाणपत्र, बार चार्ट, भूमि अनुसूची, एसआईआर, वृक्षारोपण योजना (यदि कोई हो), सीमांकन योजना आदि महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।	5. भाग II से सम्बन्धित जानकारीयां प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्पन्न किये जायेंगे। 6. भाग II से सम्बन्धित जानकारीयां प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्पन्न किये जायेंगे।
2.	FP/UK/Others/43291/2019	0.92 हे.	1. फॉर्म A, पार्ट I A-(i)(ii)(iii) में आवेदक का पूरा नाम को भरें। 2. अतिरिक्त जानकारी के रूप में कम से कम दस्तावेज अपलोड किये गये हैं जैसे कि एनपीवी प्रमाणपत्र, लम्बाई चौड़ाई प्रमाणपत्र, बार चार्ट, भूमि अनुसूची आदि महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें। 3. भाग II में अतिरिक्त जानकारी के रूप में कृपया एनपीवी प्रमाणपत्र, लम्बाई चौड़ाई प्रमाणपत्र, बार चार्ट, भूमि अनुसूची, एसआईआर, वृक्षारोपण योजना (यदि कोई हो), सीमांकन योजना आदि महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।	1. आवेदक का नाम पूर्ण रूप से भरा गया है। 2. अतिरिक्त जानकारी नामक कॉलम में सभी महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड किये गये हैं। 3. भाग II से सम्बन्धित जानकारीयां प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्पन्न किये जायेंगे।
3.	FP/UK/Others/43293/2019	0.93 हे.	1. फॉर्म A, पार्ट I A-(i)(ii)(iii) में आवेदक का पूरा नाम को भरें। 2. अतिरिक्त जानकारी के रूप में कम से कम दस्तावेज अपलोड किये गये हैं जैसे कि एनपीवी प्रमाणपत्र, लम्बाई चौड़ाई प्रमाणपत्र, बार चार्ट, भूमि अनुसूची आदि महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।	1. आवेदक का नाम पूर्ण रूप से भरा गया है। 2. अतिरिक्त जानकारी नामक कॉलम में सभी महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड किये गये हैं।



			3. भाग II में अतिरिक्त जानकारी के रूप में कृपया एनपीवी प्रमाणपत्र, लम्बाई चौड़ाई प्रमाणपत्र, बार चार्ट, भूमि अनुसूची, एसआईआर, वृक्षारोपण योजना (यदि कोई हो), सीमांकन योजना आदि महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।	3. भाग II से सम्बन्धित जानकारीयां प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्पन्न किये जायेंगे।
4.	FP/UK/Others/43304/2019	0.98 हे.	1. फॉर्म A, पार्ट I A-(i)(ii)(iii) में आवेदक का पूरा नाम को भरें। 2. अतिरिक्त जानकारी के रूप में कम से कम दस्तावेज अपलोड किये गये हैं जैसे कि एनपीवी प्रमाणपत्र, लम्बाई चौड़ाई प्रमाणपत्र, बार चार्ट, भूमि अनुसूची आदि महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें। 3. भाग II में अतिरिक्त जानकारी के रूप में कृपया एनपीवी प्रमाणपत्र, लम्बाई चौड़ाई प्रमाणपत्र, बार चार्ट, भूमि अनुसूची, एसआईआर, वृक्षारोपण योजना (यदि कोई हो), सीमांकन योजना आदि महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।	1. आवेदक का नाम, पूर्ण रूप से भरा गया है। 2. अतिरिक्त जानकारी नामक कॉलम में सभी महात्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड किये गये हैं। 3. भाग II से सम्बन्धित जानकारीयां प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्पन्न किये जायेंगे।




(विशाल रंजन)
कार्यवाहक रजिस्ट्रार
कृते प्रधानाचार्य